न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या :21/2022

अनिल बैरवा पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्रमा महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थी

बनाम

01. इन्द्रा कुमारी पत्नी दिलीप कुमार जाति रैगर निवासी राज का कुआं शाहबाद दरवाजा, बारां जिला बारां
02. रामदयाल पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां
03. साहब लाल पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थीगण : श्री हरिओम यादव

दायरा दिनांकः 25.04.2022 निर्णय दिनांक : 07.12.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः–

1. यह कि ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां में खसरा नं० 1382 रकबा 1.42 है0 भूमि स्थित है जिसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/वाद में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
2. यह कि विवादग्रस्त भूमि राजस्व कागजात में अप्रार्थी क्रम 01 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है, जो इंतकाल नं0 1089 दिनांक 16.10.2021 ग्राम महुआ तहसील मांगरोल की है, जो अप्रार्थी क्रम 01 ने जये रजिस्टर्ड बेचाननामें से खरीदकर इंतकाल खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवायी है।
3. यह कि विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी क्रम 01 ने अप्रार्थी क्रम 02 से जर्ये रजिस्टर्ड बेचाननामें से खरीद की है, अप्रार्थी क्रम 02 के नाम यह भूमि इंतकाल नं0 812 ग्राम महुआ तहसील मांगरोल दिनांक 14.03.2014 से प्रकरण संख्या 51/2013 निर्णय दिनांक 28.02.2014 से तहसीलदार मांगरोल ने दर्ज करवायी है तथा इंतकाल नं0 812 दिनांक 14.03.2014 को तस्दीक किया गया है। रामदयाल के खाते होने से पूर्व यह भूमि मथुरा, बिरधा पुत्र चून्या कौम बैरवा निवासी महुआ के नाम दर्ज थी।
4. यह कि विवादग्रस्त भूमि का भू–प्रबंध विभाग के कार्य से पूर्व खसरा नं0 580 रकबा 1.48 है0 था तथा 2067 से 2070 की जमाबंदी में इंतकाल नं0 613 दिनांक 26.11.2010 जर्ये केचमेन्ट खसरा नं0 580 रकबा 1.48 है0 के नये खसरा नं० 1382 रकबा 1.42 है0 कायम किये,

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मांगरोल

Scanned by CamScanner

इसका नोट जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में लग रहा है। तब भी यह भूमि मथुरा, बिरधा पुत्र चून्या जाति चमार के नाम दर्ज थी।

5. यह कि अप्रार्थी क्रम 02 ने यह कहकर तहसीलदार मांगरोल को दिनांक 23.10.2013 को एक प्रार्थना पत्र दिया कि ग्राम महुआ तहसील मांगरोल की खसरा नं. 680 रकबा 1.48 है0 भूमि केचमेन्ट खसरा नं० 1382 रकबा 1.42 है0 मथुरा, बिरधा पुत्र चून्या के नाम दर्ज है तथा दोनों ने मेरे पक्ष में एक अनिरस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 26.07.2003 को निष्पादित किया है। मथुरा की मृत्यु दिनांक 12.05.2007 को तथा बिरधीलाल की मृत्यु दिनांक 21.09.2010 को हो गई है तथा मथुरा, बिरधा लाऔलाद फौत हुये है, इनकी पत्नि पहले मर चुकी है तथा इसी वसीयत के आधार पर इंतकाल नं0 812 ग्राम महुआ दिनांक 14.03.2014 खोला गया। जबकि वसीयत दिनांक 26.07.2003 को देखने से स्पष्ट है कि इस वसीयत में खसरा नं0 680 दर्ज है, ना कि 580, इस प्रकार गलत वसीयत के आधार पर इंतकाल खुलवाकर अप्रार्थी क्रम 02 ने अपने नाम दर्ज करवा ली एवं अप्रार्थी क्रम 01 को बेचान कर दी। इस कारण दोनों इंतकाल, इंतकाल नं0 812 दिनांक 14.03.2014 ग्राम महुआ एवं इंतकाल नं० 1089 दिनांक 16.10.2021 ग्राम महूआ शुन्य घोषित होने योग्य है, जिनको शून्य घोषित करवाने का प्रार्थी को अधिकार है।

6. यह कि विवादित भूमि का खसरा नं0 580 रकबा 1.48 है0 से पूर्व सम्वत् 2044 से 2063 के फर्द मिलान के अनुसार खसरा नं0 683 रकवा 9 बीघा थी तथा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बारां ने मिसल नं0 127/1982 में एक दावा 88, 89, 90, 188 आर.टी. एक्ट का बउनवान लटूर, गंगाराम पुत्र नाथूलाल बैरवा महुआ बनाम बिरधा पुत्र श्री चून्या बैरवा निवासी ग्राम महुआ व राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल चला। जिसका निर्णय दिनांक 31.08.1981 को हुआ, उसमें लटूर व गंगाराम को खातेदार कृषक घोषित किया, जिसकी डिक्री दिनांक 23.05.1988 को बनाई गई। प्रार्थी अनिल बैरवा गंगाराम का वारिस एवं कायम मुकाम है, इसलिये विवादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2009 से ही काश्त करता चला आ रह है तथा वर्तमान में भी गंगाराम के फौत होने के बाद से प्रार्थी लगातार काश्त करता चला आ रहा है। गंगाराम पुत्र श्री नाथू बैरवा दिनांक 15.11.2012 को फौत हो गया।

7. यह कि विवादित भूमि मथुरा बिरधा पुत्र चून्या के खातेदारी की थी तथा दोनों के वारिस के रूप में अप्रार्थी क्रम 01 ने अपना अधिकारी बताते हुये तहसीलदार के यहां कार्यवाही की तथा मथुरा, बिरधा के वारिस के रूप में अप्रार्थी क्रम 01 को मान्यता देते हुये उसके पक्ष में इंतकाल नं0 812 दिनांक 14.03.2014 को खाले गये है, इस प्रकार मथुरा, बिरधा पुत्र चून्या के वारिस के रूप में अप्रार्थी क्रम 02 व 03 को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि में हित रखने वाले सभी पक्षकारों को इस प्रकार में पक्षकार बनाया है।

8. यह कि तहसीलदार मांगरोल के निर्णय दिनांक 18.02.2014 से यह स्पष्ट है कि मथुरा की दिनांक 12.05.2007 को एवं बिरधा की दिनाक 21.09.2010 को मृत्यु हो गई है तथा यह दोनों ला औलाद फौत हुये है।

9. यह कि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि लदूर का वारिस अप्रार्थी क्रम 03 है तथा गंगाराम का वारिस प्रार्थी है। अप्रार्थी क्रम 03 खानाबदोश है तथा लावारिस घुमता रहता है, इस कारण उसका वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है, जबकि गंगाराम जब तक जीवित रहा, उसका भूमि पर कब्जा रहा, गंगाराम के फौत होने के बाद प्रार्थी आज दिन तक उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता है, इस कारण हकमुखालपाना के आधार पर प्रार्थी उपरोक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है, क्योंकि तहसीलदार मांगरोल

Scanned by CamScanner

ने अप्रार्थी क्रम 02 द्वारा जो वसीयत की जांच की. उसमें भी प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया और ना प्रार्थी को कोई सूचना दी, जबकि वह वसीयत ही फर्जी नम्बर की है। इस कारण प्रार्थी तहसीलदार के निर्णय से पाबन्द भी नही है। अप्रार्थी क्रम 01 ने जो भूमि खरीदी है वह अप्रार्थी क्रम 02 से खरीदी है तथा अप्रार्थी क्रम 02 के नाम फर्जी वसीयत के आधार पर दर्ज हुई है, इस कारण अप्रार्थी क्रम 01 व 02 को कोई अधिकार नही मिलते है तथा प्रार्थी निरन्तर काबिज चला आ रहा है, जिसको आज दिन तक अप्रार्थीगण ने कभी भी चेलेंज नही किया है।

10. यह कि प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि पर निरन्तर काबिज है, किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 के नाम बेचान का नामान्तरण खुल जाने से वह जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहती है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है, दिनांक 08.02.2022 को अप्रार्थी क्रम 01 वादग्रस्त भूमि पर आ गई तथा जबरन कब्जा करने की धमकी दी, बमुश्किल प्रार्थी के समझाने से वापस गई, लेकिन ऐलानियां धमकी दी कि वह आज नहीं तो कल इस भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगी, अतऐव प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्टो एवं प्रतिनिधियों से करावें तथा प्रार्थी को शान्तिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें ।
11. यह कि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थी को लम्बी, खर्चीली एवं उलझन पूर्ण मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा. जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी।
12. यह कि प्रार्थी का मुकदमा प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है।
13. यह कि अन्य तथ्य वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबन्द किया जाये कि वे प्रार्थना पत्र ही मद नं. 1 मे वर्णित विवादग्रस्त भूमि वाके माल ग्राम महुआ तहसील मांगरोल की खसरा नं. 1382 रकबा 1.42 है0 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्टो अथवा हित प्रतिनिधियों से करावें तथा प्रार्थी को उक्त भूमि शान्तिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीगण को प्रतिवादनी से दिलाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाबा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका बिन्दुवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 मे वर्णित कृषि भूमि ग्राम महवा तहसील मांगरोल मे स्थित होना स्वीकार लेकिन विवादित होना स्वीकार नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 मे दर्ज कृषि भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के खाते व कब्जे मे दर्ज होना स्वीकार है लेकिन विवादित होना स्वीकार नही है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 3 में वर्णित तथ्य उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी क्रम 2 से अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर अपने खाते दर्ज कराया जाना

Scanned by CamScanner

स्वीकार है लेकिन अप्रार्थी कम 2 रामदयाल के हक मे इंतकाल नं0 812 दिनांक 14–3–2014 से दर्ज होना स्वीकार है जो उसे विधिवत पूर्व खातेदारान से जर्ये वसीयत प्रकरण सं. 51/1013 निर्णय दिनांक 28–2–2014 से प्राप्त हुई है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 4 मे वर्णित तथ्य स्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 5 में वर्णित तथ्य तहसीलदार मांगरोल से आराजी खसरा नं0 580 रकबा 1.42 हेक्टे0 जर्ये वसीयत अपने नाम अप्रार्थी कम 2 रामदयाल द्वारा अपने खाते मे दर्ज कराया जाना स्वीकार है तथा अप्रार्थी कम 2 रामदयाल द्वारा अप्रार्थी कम 1 को बेचान किया जाना स्वीकार है लेकिन इंतकाल क्रमांक 812 एवं 1089 शून्य घोषित किया जाना अस्वीकार है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 6 मे वर्णित तथ्य मिसल नं0 127/1982 में वर्णित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर. टी. एक्ट मे निर्णय दिनांक 31–8–1987 को होना एवं उसकी डिक्री दिनांक 23–5–1988 को बनाया जाना स्वीकार है लेकिन मद में अंकित तथ्य मिथ्या एवं बनावटी होने से अस्वीकार है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 7 मे वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 8 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 9 मे वर्णित तथ्य असत्य होने से स्वीकार नही है ।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 10 में प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार नही है तथा वर्तमान मे विवादित आराजी पर अप्रार्थी कम 1 काबिज है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त है। तथा वादी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 11 में वर्णित तथ्य गलत एवं अस्वीकार है प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति कारित नही हो रही है क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है।
12. यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यो पर आधारित नही है सुविधा का संतुलन उसके पक्ष मे है इस कारण अस्वीकार है।
13. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण कम 13 स्वीकार है।

अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया एवं विशेष कथन एवं प्रति प्रार्थना पत्र भी जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जिसका सक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र/प्रार्थना पत्र मे आराजी खसरा न. 1382 रकबा 1.42 हेक्टे0 जो वर्तमान मे अप्रार्थी कम 1 इन्द्रा कुमारी पत्नी दिलीप कुमार के खाते दर्ज है जिसे अप्रार्थी कम 2 रामदयाल पुत्र मोहनलाल द्वारा जर्ये विक्रय पत्र बेचान से कब्जा दिया गया है उसके हक में खोले गये इंतकाल नं0 812 दिनांक 14–3–2014 मे निर्णय तहसीलदार मांगरोल दिनांक 2–8–2014 प्रकरण सं0 51/2013 की अपील प्रार्थी द्वारा माननीय जिला कलेक्टर महोदय बारां के न्यायालय में प्रकरण सं0 9/2020 से प्रस्तुत की हुई है जो जेरकार है तथा जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 14–9–2022 नियत है।
2. यह कि इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा तहसील मांगरोल के निर्णय दिनांक 28–2–2014 में वर्णित आदेश के तथ्यो के आधार पर जर्ये इस्तगासा प्रथम सूचना दर्ज रिपोर्ट सं0 148/2020

Scanned by CamScanner

दिनांक 27–8–2020 को थाना सीसवाली मे दर्ज हुआ जो जर्ये इस्तगासा दिनांक 18–3–2020 को न्यायालय ए.सी.जे.एम. मांगरोल द्वारा दिये गये आदेश पर दर्ज हुई थी जिसे थाना सीसवाली द्वारा मुकदमा बनना नही पाये जाने के आधार पर एफ.आर. कमांक 4 दिनांक 1–2–2021 न्यायालय मे प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमे प्रार्थी द्वारा अपने वकील श्री रामस्वरूप नागर द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है जो विचाराधीन है इस प्रकार प्रार्थी को उपरोक्त तथ्यो की जानकारी दिनांक 18–3–2020 से पूर्व से ही थी फिर भी गलत तथ्यो के आधार पर वाद कारण दिनांक 8–2–2022 व 83–2022 गलत तथ्यो के आधार पर अंकित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रकरण सं0 127/1982 निर्णय दिनांक 31–8–1987 एवं डिकी जारी दिनांक 23–5–1988 मुकदमा एस.डी.ओ साहब बारां के तथ्य वादपत्र की मद नं0 6 मे अंकित कर अपना कब्जा होने का कथन किया है उक्त तथ्य असत्य है क्योकि उक्त निर्णय व डिकी मे पूर्ववर्ती प्रार्थीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को पुरानी तहरीर जेठ, बुदी सम्मत 2038 के मुताबिक मुनाफा राशि 400 रूपये सालाना, 8 मन गेहूं, 8 मन ज्वार दिया जाना अंकित है जिसकी पालना प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 3 के स्वर्गीय पिता तत्कालीन प्रार्थीगण द्वारा नही किये जाने के कारण उपरोक्त कृषि भूमि उनके खाते दर्ज नहीं हो सकी थी इस प्रकार उक्त तथ्यो के आधार पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित नही है तथा प्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।
4. यह कि अप्रार्थी कम 2 रामदयाल द्वारा अप्रार्थी कम 1 इन्द्रा कुमारी के हक में बेचान की गई कृषि भूमि जिसका इंतकाल कमांक 1089 दिनांक 16–10–2021 खोला गया है उससे आपत्ति है तो उसको बेचान रजिस्ट्री को निरस्त कराये जाने हेतु वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये उक्त वाद/प्रार्थना पत्र मे उक्त इंतकाल को शून्य घोषित करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर स्वयं को अप्रार्थी कम 2 खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं० 1382 रकबा 1.42 हेक्टे0 ग्राम महुआ तहसील मांगरोल पर अपना कब्जा बताकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है अपितु कथन है कि अप्रार्थी कम 1 का वैधानिक कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी कम 1 इन्दाकुमारी प्रार्थी के विरुद्ध अपने शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारणी है।
6. यह कि अप्रार्थी कम 2 रामदयाल द्वारा वैधानिक तरीके से जर्यें वसीयत नामा प्राप्त आराजी निर्णय तहसीलदार मांगरोल के निर्णय की पालना मे जर्यें इंतकाल क्रमांक 812 दिनांक 14–3–2014 से प्राप्त हुई है उक्त इंतकाल को निरस्त एवं शून्य घोषित करवाये जाने हेतु अपील पेश करना चाहिये था ऐसा न कर उक्त वाद में जो मांग की गई है वह निराधार एवं बेबुनियाद तथ्यों पर की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि पूर्व वाद प्रकरण सं0 127/1982 निर्णय दिनांक 31–8–1987 व डिकी दिनांक 23–5–1988 की समय पर इजराय पालना नही होने के कारण उपरोक्त वाद के आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार की सहायता माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा उपरोक्त वाद धारा 10 व 11 सी.पी.सी. के तहत चलने योग्य नही है।
8. यह कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर अप्रार्थी कम 3 साहबलाल पुत्र लदूरलाल को प्रार्थना पत्र की मद नं० 9 मे खाना बदोष व लावारिस होना अंकित किया है जबकि अप्रार्थी कम 3 सही हालत मे होते हुये कथन करता है कि वादी अथवा प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा न अप्रार्थी कम 3 व उसके स्वर्गीय पिता लटूरलाल का भी कब्जा नही रहा है इस कारण उक्त वाद / प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी कम 1 इन्द्रा कुमारी के हक में जर्ये प्रतिप्रार्थना पत्र अप्रार्थीया कम 1 के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी न करने वारते प्रार्थी को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

प्रति प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रार्थी द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया जिसका सक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

1. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 1 प्रति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जो मियाद बाहर होने बाबत लिखा गया है वह स्वीकार है शेष तथ्य राजस्व रेकार्ड से संबंधित है जो राजस्व रेकार्ड में तथा न्यायालय में लंबित है तथा वाद कारण दिनांक 08.02.2022 को अप्रार्थी कम 1 द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने तथा दिनांक 08.03.2022 को नोटिस देने के बाद मियाद नोटिस दिये जाने के बाद नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया इसलिए मियाद बाहर होने का प्रश्न स्वीकार नही ह उपरोक्त वाद प्रार्थना पत्र से संबंधित तथ्य वाद पत्र में मद नं0 08 में वर्णित है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 10 में वर्णित है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में प्रथम सूचना रिपोर्ट 148/2020 दर्ज होना स्वीकार है लेकिन न्यायालय में थाना सीसवाली को भेजी जा चुकी है जो वर्तमान में लंबित है।
3. यह प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित तथ्य प्रकरण संख्या 127/1982 में जारी डिकी 31.08.1987 में उप जिला कलेक्टर बारां द्वारा वर्णित तथ्य में कब्जा मानते हुये वादी के पुत्र अनिल कुमार के पक्ष में निर्णित किया गया था न कि प्रतिवादी के पक्ष में जिसमें वादी के पिता को ग्राम महुआ की भूमि खसरा नं. 683 की 9 बीघा आराजी पर कृषक घोषित किया गया ाि उक्त वर्णित वाद में जो खसरा नं0 683 की 9 बीघा भूमि के खातेदार थे वह बिरधा तथा मथुरा थे। बिरधा तथा मथुरा लाल जिनके पिता का नाम चून्या थां लेकिन मथुरा की मृत्यु 1987 के पूर्ण ही हो चुकी थी ओर बिरधा के खिलाफ वाद डिकी किया था बिरधा के जीवनकाल में वादी के पिता द्वारा वर्णित तथ्यों की पालना की गई लेकिन अप्रार्थी कम 1 ता 3 को यह आपत्ति उठाने का कोई अधिकार हासिल नही है क्योकि जो वसीयत दिनांक 26.07.2003 को करवाई गई वह वसीयत फर्जी व बनावटी है क्योकि मथुरा तो 1987 से पूर्व ही फौत हो चुका है तथा वसीयत देखने पर यह पता लगता है कि उक्त अंगूठा निशानी फर्जी व बनावटी करके उक्त जमीनय हडपनें की नीयत से तैयार की गई है तथा कब्जे को तो स्वयं उप जिला कलक्टर महोदय बारां ने ही प्रमाणित किया है इसलिए वादी उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने योग्य है।
4. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 04 में इन्तकाल नं0 1079 जो खोला गया है उस बाबत न्यायालय श्रीमान को निरस्त करने को सम्पूर्ण अधिकारात प्राप्त है क्योकि उक्त भूमि को तथ्य छुपाकर के जो बेचान किया है वह निरस्त करने का न्यायालय श्रीमान को अधिकार प्राप्त है।
5. यह कि काउन्टर कौम की मह नं. 05 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 10 में विस्तृत वर्णन किया गया है कि अप्रार्थी जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है

Scanned by CamScanner

इसलिए न्यायालय ने प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि प्रार्थी तो अपने पिता के समय से सन 1982 से लगभग 40 साल से काबिज काश्त है। इन्द्रा कुमारी द्वारा तो उक्त भूमि 03.09.21 को रामदयाल से क्रय की है रामयदयाल को यह पता था कि उक्त भूमि फर्जी वसीयत के नाम पर मेरे खाते दर्ज हुई है जिसकी जांच लंबित थी क्योकि पूर्व में प्रार्थी द्वारा थाना सीसवाली में 27.08.20 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है जिसकी जांच लंबित है इसलिए कपटपूर्वक अप्रार्थी कम 2 ने मोटी रकम लेकर इन्द्रा बाई को बेचान कर लाखो रूपया रिश्वत देकर उक्त भूमि को बचाने की कोशिश की है जो कतई बेईमानीपूर्वक कृत्य है क्योकि रामदयाल यह जानता था कि उक्त वसीयत जिसके आधार पर भूमि मेरे नाम दर्ज हुई वह वसीयत फर्जी है इसलिए षडयन्त्र पूर्वक बेचान कर रूपया हडपने की गरज से व तथ्यो से भागने की गरज से सन 2020 के बाद सन 2021 में भूमि बेचान करना अपने आप में ही धोखाधडी पूर्वक किया गया कृत्य है।

6. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 06 अस्वीकार है तथा कथन है कि जब वसीयतनामा ही फर्जी व बनावटी है तो उसके लिए पृथक से कोई वाद करने की आवश्यकता ही नही है।
7. यह कि वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थी ने इसलिए इजराय की पालना के अलावा वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो धारा 88,89,90,91 का है तथा पूर्व वाद व वर्तमान वाद में न तो पक्षकार समान है न ही वाद कारण एक समय का है इसलिए उक्त वाद पर 10 व 11 सी.पी.सी. लागू नही होती क्योकि पूर्व वाद गंगाराम बनाम बिरधा था वर्तमान वाद अनिल कुमार बनाम इन्द्रा कुमारी है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 में वर्णित तथ्य में जो लिखा गया है वह प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है जिसमें यह नही लिखा गया कि यह मानसिक विकृत है और उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता के जीवन काल से ही जो कब्जा चला आ रहा है वह न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां ने भी माना है जिसमें अप्रार्थीगण पक्षकार ही नही है न ही उन्होने प्रार्थी के कब्जे को कोई चुनौती दी इसलिए जो काउन्टर क्लेम प्रस्तु किया है वह खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी कम 1, 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किये जाने के कारण विशेष खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मुताबिक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर ग्राम महुआ की आराजी खसरा नं0 382 रकबा 1.42 है0 में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में कोई दखअंदाजी नही करने हेतु ताफैसला वाद जारी की जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। बहस में वकील पक्षकारान द्वारा उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं जवाब उल जवाब में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

Scanned by CamScanner

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन–बेचान करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 अनुसार न्यायालय उपजिला कलेक्टर बारां द्वारा मिसल नं0 127/1982 दावा 88, 89, 90, 188 आर.टी. एक्ट बउनवान लटूर, गंगाराम पुत्र नाथूलाल बैरवा महुआ बनाम बिरधा पुत्र श्री चून्या बैरवा निवासी ग्राम महुआ व राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल में निर्णय दिनांक 31.08.1981 से लटूर व गंगाराम को खातेदार कृषक घोषित किया, जिसकी डिक्री दिनांक 23.05.1988 को बनाई गई। प्रार्थी अनिल बैरवा गंगाराम का वारिस एवं कायम मुकाम है। वर्तमान में उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के विवादित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थी को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : यदि अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 द्वारा भूमि का रहन–बेचान, हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र, जवाब उल जवाब, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां में खसरा नं० 1382 रकबा 1.42 है0 भूमि पर रिकार्ड व कब्जे की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner